आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: nssccerаj@gmail.com Ph.:8377917640

क्रमांक : एफ.8(21) Polluation /NSS/CCE / 2022 / दिनांकः जुलाई, 2024

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
(एनएसएस से सम्बद्ध)
राजस्थान।

विषय :– हरियालो राजस्थान अभियान।

सन्दर्भ :– संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.8 (2) प्रसु / सम / अनु–1 / 2024 जयपुर दिनांक 23.07.2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर अब तक **वृहद् वृक्षारोपण अभियान, मियावाकी पद्धति से सघन वृक्षारोपण अभियान, अमृत पर्यावरण महोत्सव, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान के अन्तर्गत "एक पेड माँ के नाम"** आदि कार्यक्रमों के द्वारा प्रदेश के राजकीय / निजी महाविद्यालयों में वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है, इसी क्रम में दिनांक 7 अगस्त, 2024 को हरियाली तीज के शुभ अवसर पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान के अन्तर्गत "हरियालो राजस्थान" कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है जिसमे महाविद्यालय की महिला अधिकारियों / कार्मिकों एवं स्थानीय समुदायों के सहयोग से तीज के उत्सव के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हुए सघन वृक्षारोपण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान के अन्तर्गत **"हरियालो राजस्थान" (एक पेड माँ के नाम)** थीम पर वृक्षारोपण करते हुए महाविद्यालय स्तर पर वृक्षारोपण के लिए **नोडल अधिकारी** नियुक्त करें तथा की गई कार्यवाही / कार्यक्रम / गतिविधियो के फोट्ोज / वीडियोज को तत्काल मेरी लाईफ पोर्टल (https://merilife.nic.in) पर अपलोड करें तथा विभाग द्वारा जारी स्प्रेडशीट nss.plantation 2024 को भी अनिवार्य रूप से भरवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : सन्दर्भित पत्र।

(पुखराज सेन)
आयुक्त

प्रतिलिपि –

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(2)प्रसु / सम / अनु–1 / 2024 जयपुर दिनांक 23.07.2024.
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड / ई–मेल बाबत।

(पुखराज सेन)
आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.30 1?:26:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
9335837

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प.8(2)प्रसु/सम/अनु–1/2024 जयपुर, दिनांक 23.07.2024

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2024 को प्रातः 11:30 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय में सीनियर ऑफिसर मीटिंग (SOM) का आयोजन किया गया। बैठक में अति0 मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगण उपस्थित हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये:—

1. राज्य सरकार के परिवर्तित बजट वर्ष 2024—25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय प्रशासनिक सचिवगण एवं जिला प्रभारी सचिवगण द्वारा अपने विभाग एवं जिले के बजट घोषणाओं संबंधी कार्यों को समयबद्ध क्रियान्वित किये जाने बाबत् नियमित समीक्षा की जावे।
2. जिला प्रभारी सचिवगण द्वारा संबंधित जिलों के दौरे/निरीक्षण की प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं बताते हुए दौरे/निरीक्षण की समग्र एवं व्यवहारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा इस हेतु प्रभारी सचिवगण के लिए रिपोर्टिंग का प्रारूप निर्धारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
3. जिला प्रभारी सचिवगण द्वारा संबंधित जिला कलक्टर एवं जिलों के अन्य अधिकारियों से निरंतर संपर्क रखते हुए संबंधित जिलों की बुनियादी सुविधाओं यथा पानी, बिजली, स्वास्थ्य आदि व्यवस्थाएं सुचारू रखी जावे। साथ ही संबंधित जिलों की मीडिया रिपोर्टस् का नियमित रूप से अवलोकन करते हुए शिकायतों का समाधान/निस्तारण किया जावे
4. सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवगण विभागीय मंत्रीगण से समन्वय रखते हुए परिवर्तित बजट वर्ष 2024—25 की घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु साप्ताहिक समीक्षा बैठक करना सुनिश्चित करें।
5. विधानसभा में विधायकगण द्वारा पानी, बिजली एवं अन्य जन समस्याओं के बारे में उठाए गए विषयों से अधिकारीगण विज्ञ रहें। साथ ही विधानसभा में उठाए जाने वाले संभावित विषयों के संबंध में पूर्व तैयारी किया जाना सुनिश्चित करें।
6. आगामी विनियोग विधेयक प्रस्ताव हेतु यदि किन्हीं विभागों को बजट आवंटन करवाना आवश्यक हो, तो विभाग के स्तर से प्रस्ताव 24 जुलाई तक वित्त विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित कर दिया जावे।
7. सदन के दौरान प्रश्न काल के पश्चात् शून्य काल के दौरान विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे तथा पर्ची/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इत्यादि के माध्यम से जो प्रकरण उठाये जाते है, उनके

कार्यालय का पताः कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
ई मेल–ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट–www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385...

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by N...ya Gohain
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.07.2... 10:27:35 IST
Reason: Approved

संबंध में प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर राजकीय दीर्घा में उपस्थिति रहे व तथ्यात्मक टिप्पणी से प्रभारी मंत्री महोदय को टिप्पणी से अवगत करावें। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी अशा.टीप दिनांक 18.07.2024 में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

8. राज्य में सघन वृक्षारोपण किये जाने हेतु 'हरियालो राजस्थान' (एक पेड़ माँ के नाम) अभियान के तहत 07 अगस्त को हरियाली तीज के शुभ अवसर पर 1.25 करोड़ पेड़ लगाये जाने प्रस्तावित है। यह एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है अतः पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग व अन्य सभी विभागो द्वारा परस्पर समन्वय बनाते हुए राजकीय कार्यालयो यथा आरटीडीसी/पुलिस स्टेशन/पीएचसी/समुदायिक भवनों/राजकीय परिसरों व अन्य उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों पर चिन्हित स्थानों पर विभागीय लक्ष्यों अनुरूप अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जावे तथा उनकी समुचित सुरक्षा/देखभाल की व्यवस्था की जावे।
9. 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत महिला अधिकारियों/कार्मिकों एवं स्थानीय समुदायों के सहयोग से तीज के उत्सव के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हुए उत्सव के रूप में सघन वृक्षारोपण किया जावे।
10. विभिन्न विभागों के स्तर पर हुई विभिन्न भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति से शेष रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी किये जावे। जिससे प्रस्तावित रोजगार मेला दिनांक 23.08.2024 के लिए नवचयनित कार्मिकों की अधिकाधिक भागीदारी हो सकेगी तथा नियुक्ति पत्र प्रदान किये जा सकेंगे।
11. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भर्ती एजेंसी को अर्थना भिजवाये जाने से शेष रहे विभाग शीघ्र अर्थना भिजवा देवें। साथ ही सीएमआईएस पॉर्टल पर विभागवार भर्तियों की अद्यतन स्थिति अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।
12. विभिन्न विभागों में लंबित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर ली जावें। विभागीय पदोन्नति बैठक की सूचना प्रेषित किये जाने से शेष रहे विभाग DPC (DOP) पॉर्टल के माध्यम से अद्यतन सूचना नियमित रूप से अपडेट करें। साथ ही जिन विभागों की सूचनाएं पॉर्टल पर अधूरी दर्ज है, उनको पूर्ण दर्ज किया जावे।
13. **iGOT कर्मयोगी** के संबंध में अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों के कार्मिकों के शत प्रतिशत पंजीकरण एवं उक्त पॉर्टल पर अधिकाधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
14. ई–फाईल औसत निस्तारण समय के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रस्तुत 'एक्सीलेंस स्कीम' में मुख्य सचिव के द्वारा विभागीय स्तर पर प्रोत्साहन/एप्रिसिएशन किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि विभाग अपने विभाग के

कार्यालय का पताः कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
ई मेल–ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट–www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385660

RajKaj Ref
9112828

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by N[illegible]ya Gohain
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.07.2[illegible] [illegible]0:27:35 IST
Reason: Approved

संबंधित कार्मिकों के कार्य निस्तारण की समुचित समीक्षा के आधार पर श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाले कार्मिकों को सम्मानित करने की कार्यवाही कर सकेंगे।

15. चूरू एवं बूंदी के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को नवीन भवन बनने तक अतिशीघ्र अन्य भवन में स्थानांतरित किये जाने की कार्यवाही करें। इस संबंध में नवीन भवन हेतु आवश्यकतानुसार बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जावे। (**अपेक्षित कार्यवाही**—सामान्य प्रशासन विभाग)
16. विभागवार लंबित टाइमलाईन प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर यथासमय नियमानुसार निस्तारित किया जावें।
17. सभी विभागों द्वारा इस त्रैमास की ऑडिट कमेटी की बैठक यथासंभव इसी माह तक आयोजित कर ली जावे।
18. प्री—लिटिगेशन कमेटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जावे।
19. सभी अधिकारीगण सरल एवं गरीमापूर्ण कार्यसंस्कृति व व्यवहार पद्धति अपनावें तथा आजमन में राज्यकर्मियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हेतु अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठा से निर्वहन करें।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(निकया गोहाएन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय का पता: कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
ई मेल–ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट–www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385660

RajKaj Ref 9112828

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by N[illegible]ya Gohain
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.07.2[illegible] [illegible]0:27:35 IST
Reason: Approved